उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या-1246 /77-3-2026-E-1905964

लखनऊ : दिनांक 29 अक्टूबर, 2026

मेसर्स ग्रीनबे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० ... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ... प्रतिवादी

आदेश

प्रश्नगत पुनरीक्षण याचिका यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मेसर्स ग्रीनबे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० को सेक्टर-22डी में आवंटित भूखण्ड संख्या टी.एस.-06 के सम्बन्ध में निर्गत डिमांड नोटिस दिनांक 28.06.2022 एवं 07.09.2022 के विरूद्ध उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा-41(3) सपठित औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-12 के अन्तर्गत योजित की गयी है, जिसम में दिनांक 07.10.2026को सुनवायी की गयी। सुनवायी में प्राधिकरण की ओर से श्री मनीष मीना, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री कार्तिकेय दुबे, अधिवक्ता उपस्थित हुए।

2- पुनरीक्षणकर्ता का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

(1) पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में भूखण्ड संख्या टी.एस.-06, सेक्टर-22डी का पट्टा विलेख दिनांक 27.03.2012 को निष्पादित हुआ। तत्पश्चात् 41,482.34 वर्गमीटर एवं 16,004 वर्गमीटर क्षेत्रफल उप-पट्टे पर दिया गया। वर्तमान कार्यवाही 3,51,135.69 वर्गमीटर क्षेत्रफल से सम्बन्धित है। विवरण पुस्तिका के खण्ड G-3 के अनुसार 10 प्रतिशत आरक्षण धनराशि जमा होने के उपरान्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर आवंटी को सौंपना प्राधिकरण का दायित्व था, किन्तु धनराशि जमा किए जाने के बावजूद कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया।

(2) प्राधिकरण ने स्वयं पत्र दिनांक 03.08.2012 द्वारा अवगत कराया कि आवंटित भूमि के 25 खसरे विभिन्न रिट याचिकाओं, जिनमें रिट याचिका संख्या 3392/2012, 8287/2012, 68985/2011 एवं 36442/2011 सम्मिलित थीं, में पारित स्थगनादेशों से प्रभावित थे। अनापत्ति प्राप्त होने के बावजूद किसानों का कब्जा एवं मूलभूत सुविधाओं का अभाव निर्माण में बाधक रहा। जलापूर्ति हेतु किए

गए अनुरोध पर भी प्राधिकरण ने पत्र दिनांक 26.12.2013 द्वारा बताया कि सिंचाई विभाग से पानी उपलब्ध होने पर ही जलापूर्ति की जाएगी।

(3) उक्त बाधाओं को स्वीकार करते हुए प्राधिकरण ने आदेश दिनांक 04.02.2013 द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर 27.03.2012 से 29.01.2013 तक शून्य अवधि प्रदान की गयी है, किन्तु आदेश दिनांक 07.03.2017 द्वारा लाभ केवल 55,285 वर्गमीटर पर 30.01.2013 से 21.12.2016 तक तथा आदेश दिनांक 23.11.2020 दद्वारा केवल 15,493.43 वर्गमीटर पर 04.02.2018 से 03.02.2020 तक सीमित कर दिया गया। बाधाएँ बने रहने के बावजूद लाभ सीमित करने का कोई कारण नहीं बताया गया और न ही 29.01.2013 के पश्चात् दिसम्बर, 2019 तक शेष प्रभावित भूमि का कब्जा सौंपने का कोई कब्जा ज्ञापन अथवा बाधाएँ समाप्त होने की सूचना उपलब्ध कराई गई। अतः प्राधिकरण का पट्टा निष्पादन के समय ही सम्पूर्ण कब्जा सौंपने का कथन उसके अपने अभिलेखों एवं पूर्व आदेशों के विपरीत है।

(4) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विशेष रूप से प्राधिकरण के प्रभारी विधि अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्र एवं संलग्न खसरावार विवरण पर अत्यधिक बल दिया गया है, जिसके अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान 2,74,760 वर्गमीटर भूमि स्थगनादेशों एवं न्यायिक वादों से प्रभावित रही, जो कुल आवंटित क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत से अधिक है। शासनादेश दिनांक 05.12.2019 में 30 प्रतिशत से अधिक भूमि प्रभावित होने पर सम्पूर्ण आवंटित क्षेत्रफल पर शून्य अवधि का लाभ देने की व्यवस्था है। अतः उक्त नीति एवं प्राधिकरण के अपने अभिलेखों के आधार पर सम्पूर्ण सम्बन्धित क्षेत्रफल पर लाभ दिया जाना चाहिए।

(5) शासनादेश दिनांक 29.08.2014 में किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान कर भूमि का कब्जा प्राप्त करने की व्यवस्था थी। इसके अनुपालन में प्राधिकरण ने मांग पत्र दिनांक 01.12.2014 द्वारा 3,67,039.66 वर्गमीटर के सम्बन्ध में ₹64,96,60,198/- की मांग की। पुनरीक्षणकर्ता का कथन है कि इससे भी स्पष्ट है कि प्रभावित शुगि किरानों के कब्जे गें थी। किरानों द्वारा कब्जा ग छोड़ने एवं निर्माण रोकने की सूचना दिए जाने पर प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर सम्बन्धी विवाद मा० न्यायालय में लम्बित होने के कारण भुगतान एवं शांतिपूर्ण कब्जा उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गयी।

(6) उक्त शासनादेश के विरुद्ध विभिन्न याचिकाओं में अंतरिम आदेश पारित हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.05.2020 को उसे निरस्त कर दिया। तत्पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी. संख्या 10015-10034/2020, यीडा बनाम शकुन्तला एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी में दिनांक 19.05.2022

के निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त किया। इस प्रकार अतिरिक्त प्रतिकर का विवाद उक्त तिथि तक विचाराधीन रहा। पुनरीक्षणकर्ता के अनुसार इस दौरान प्रतिकर का भुगतान एवं प्रभावित भूमि का कब्जा उपलब्ध न होने के कारण वह शून्य अवधि के साथ अतिरिक्त प्रतिकर पर ब्याज की माफी का भी हकदार है।

(7) पुनरीक्षणकर्ता ने पत्र दिनांक 18.04.2016 एवं 02.01.2017 सहित विभिन्न प्रत्यावेदनों द्वारा न्यायिक विवादों, यथास्थिति आदेशों एवं कब्जे की अनुपलब्धता से प्राधिकरण को अवगत कराया। प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 08.04.2024 के साथ उपलब्ध कराए गए वादों के विवरण से भी विभिन्न खसरों पर स्थगनादेश वर्ष 2019 तक तथा कुछ खसरों पर उसके बाद भी प्रभावी रहना प्रमाणित होता है :-

क्रं०	ग्राम	खसरा संख्या	याचिका संख्या	याचिकाकर्ता	विवरण
1	अच्छेजा बुर्जुग	471	1689/1996	चन्द्रा गुप्ता व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य	स्थगन प्रभावी नहीं है
2	मिर्जापुर	3, 6, 8	64154/2012	राम अवतार शर्मा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य	दिनांक 10.12.2012 का स्थगन प्रभावी है।
		12, 15	45078/2016	सुमित व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य	याचिका वर्तमान में लम्बित है।
			53332/2014	श्रीमती रामवती व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य	याचिका वर्तमान में लम्बित है।
		3	40704/2017	जगदीश व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य	याचिका वर्तमान में लम्बित है।
		1	52624/2013	सुखवीर व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य	याचिका वर्तमान में लम्बित है।
		1म	23976/2021	जगवती व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य	याचिका वर्तमान में लम्बित है।
		4	20492/2021	सुखवीर व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य	याचिका वर्तमान में लम्बित है।
3	अच्छेजा बुर्जुग	470	48619/2013	सब्बीर व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	स्थगनादेश प्रभावी नहीं रहा है जो कि दि० 05.01.2016 को खारिज कर दी गई है।
4	मिर्जापुर	2,7,12,13,15,31	68985/2011	इन्द्रा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य	स्थगनादेश दिनांक 01.12.2011 से

					11.07.2023 तक रहा है
		4	39165/2019	सुखवीर व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य	स्थगनादेश प्रभावी नहीं रहा है जो कि दि० 09.11.2019 को खारिज कर दी गई है।
		10,15	14103/2018	सुमित कुमार बंसल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	स्थगनादेश प्रभावी नहीं रहा है जो कि दि० 18.04.2018 को खारिज कर दी गई है।
		12,15	12319/2016	अमित व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	स्थगनादेश प्रभावी नहीं रहा है जो कि दि० 16.03.2016 को खारिज कर दी गई है।
5	खेरली भाव	28, 29, 30, 31, 32	25887/2014	कमल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	स्थगनादेश प्रभावी नहीं रहा है जो कि दि० 14.05.2014 को खारिज कर दी गई है।
6	खेरली भाव	33	10808/2013	रघुवीर व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य	स्थगनादेश दिनांक 28.02.2013 से 04.01.2018
		27म	3392/2012	हबीब व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	स्थगनादेश दिनांक 18.01.2012 से 03.08.2015 तक रहा है।
		27	6643/2011	हनीफ व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	स्थगनादेश प्रभावी नही रहा है जो कि दि० 03.08.2015 को खारिज कर दी गई है।
			8287/2012	तोडी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	स्थगनादेश दिनांक 14.02.2012 से 27.02.2015 तक रहा है।

अतः पूर्व में स्वीकार की गई बाधाओं के रहते सम्पूर्ण भूमि पर शून्य अवधि से इन्कार करना परस्पर विरोधी रुख है।

(8) दिनांक 07.02.2024 को लेखपाल श्री पंकज सिंह अहलावत एवं श्री सुशील प्रसाद शर्मा द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण के आधार पर तैयार रिपोर्ट दिनांक 05.03.2024, जिसे पत्र दिनांक 06.03.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया, में भी किसानों का कब्जा, खेती, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान न होना तथा वादों का लम्बित होना दर्ज है। रिपोर्ट में न्यायिक निस्तारण एवं अतिरिक्त प्रतिकर के भुगतान के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की बात कही गई है। प्राधिकरण द्वारा किसानों का कब्जा हटाकर भूमि उपलब्ध कराने के प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

(9) प्राधिकरण के पत्र/रिपोर्ट दिनांक 05.03.2024 में ग्राम मिर्जापुर स्थित खसरा संख्या 9, 10, 11, 14 एवं 470 की भूमि ग्राम सभा की होना भी दर्ज है। आवंटित क्षेत्र में सम्मिलित उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण न होने तथा प्रभावित भू-भाग टाउनशिप के विभिन्न स्थानों पर स्थित होने से भूमि की निरन्तरता एवं परियोजना का समेकित विकास बाधित रहा। फलतः बाधाओं का प्रभाव केवल संबंधित खसरों तक सीमित नहीं था।

(10) जनवरी, 2020 से भूमि के विभिन्न भाग उपलब्ध होने पर पुनरीक्षणकर्ता ने विकास कार्य किए तथा दिनांक 28.09.2020 को 201 भूखण्डों, दिनांक 18.05.2022 को 362 भूखण्डों एवं दिनांक 30.12.2024 को 131 भूखण्डों के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र प्राप्त किए। अन्तिम प्रमाणपत्र हेतु आवेदन दिनांक 22.11.2024 को किया गया था। दिनांक 30.12.2024 के पार्ट ले-आउट पूर्णता प्रमाणपत्र के खण्ड-1 में भी स्थगनादेश से प्रभावित अथवा संस्था के पक्ष में पूर्णतः विधिक रूप से हस्तान्तरित न हुई भूमि को प्रमाणपत्र से बाहर रखा गया है। इससे बाधाओं का बने रहना तथा उपलब्ध भूमि पर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कार्य करना स्पष्ट है, विलम्ब उसकी निष्क्रियता के कारण नहीं हुआ।

यह कि यह भी उल्लेखनीय है कि इसके बाद पुनरीक्षणकर्ता ने आवंटित भूखंड पर 131 आवासीय भूखंड भी विकसित किए हैं और 22.11.2024 को लेआउट पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। उक्त आवेदन के अनुक्रम में, प्राधिकरण ने दिनांक 30.12.2024 को ले-आउट पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया है। यह कि उक्त पूर्णता प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रत्यर्थी प्राधिकरण स्वीकार करता है कि पुनरीक्षणकर्ता को आवंटित भूमि का कुछ हिस्सा अभी भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों से प्रभावित

है। यह तथ्य उपरोक्त प्रमाण पत्र के क्लॉज-1 से प्रमाणित होता है, जिसे सुविधाजनक अवलोकन के लिए यहाँ पुनरुत्पादित किया जा रहा है :-

"1. भूखण्ड संख्या टी०एस०-06, सैक्टर-22-डी में जो भूमि मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश से प्रभावित है अथवा जो भूमि संस्था के पक्ष में पूर्ण विधिक रूप से हस्तांतरित/नहीं है, उस पर पार्ट लेआउट कम्प्लीशन जारी नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि पर कार्य सम्पन्न होने की स्थिति में "समस्त जिम्मेदारी आवंटी संस्था की होगी।

(11) शासनादेश दिनांक 21.12.2023 के अन्तर्गत कोविड अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 तक शून्य अवधि तथा ओखला पक्षी अभयारण्य सम्बन्धी एनजीटी आदेशों से प्रभावित पात्र परियोजनाओं के लिए प्रकरणवार राहत की व्यवस्था है। उक्त शासनादेश के अनुपालन में लगभग ₹441.17 करोड़ देयता निर्धारित किए जाने के सापेक्ष लगभग ₹160 करोड़ जमा किए जाने का कथन है। पुनरीक्षणकर्ता ने अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समय-समय पर भुगतान करते हुए कुल ₹2,92,96,59,364/- जमा किए जाने का भी उल्लेख किया है, जो परियोजना पूर्ण करने की उसकी सदाशयता दर्शाता है।

(12) अतः न्यायिक स्थगनादेशों, किसानों के कब्जे, अतिरिक्त प्रतिकर सम्बन्धी विवाद, ग्राम सभा भूमि के पुनर्ग्रहण के अभाव एवं मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता से उत्पन्न विलम्ब के लिए पुनरीक्षणकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। प्राधिकरण के अपने मानचित्र, खसरावार विवरण, पत्रों एवं निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता ने दिनांक 27.03.2012 से दिसम्बर, 2019 तक सम्पूर्ण सम्बन्धित क्षेत्रफल पर शून्य अवधि, उससे उत्पन्न समस्त वितीय एवं परिणामी लाभ, अतिरिक्त प्रतिकर पर सम्बन्धित अवधि के ब्याज की माफी तथा पूर्व जमा धनराशियों का समायोजन करते हुए देयों की पुनर्गणना की प्रार्थना की है।

(13) यह प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित आधारों पर पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख यानी 27.03.2012 से लेकर पूरी भूमि का कब्जा सौंपने की तारीख यानी दिसंबर 2019 तक पूरी भूमि पर शून्य अवधि का हकदार है :-

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता शून्य अवधि का हकदार है क्योंकि भूमि के एक हिस्से पर 2019 तक किसानों द्वारा अतिक्रमण किया गया था और भूमि का एक बड़ा हिस्सा अभी भी किसानों के कब्जे में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 07.02.2024 को, लेखपाल श्री पंकज सिंह अहलावत और श्री सुशील प्रसाद शर्मा द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को आवंटित भूखंड का एक संयुक्त निरीक्षण) Joint Inspection) किया गया था। संयुक्त निरीक्षण के अनुक्रम में, दिनांक

05.03.2024 को एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें उन खसरों को दर्ज किया गया था जहां भूमि पर किसानों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। दिनांक 05.03.2024 की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि किसानों को 64.7% मुआवजा नहीं मिला है और तदनुसार वे भूमि पर काबिज हैं और वर्तमान में पुनरीक्षणकर्ता के भूखंड पर खेती की गतिविधियां की जा रही हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उनकी याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका के निपटारे के बाद और अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के भुगतान के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है। दिनांक 05.03.2024 की रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि इस पुनरीक्षण याचिका के अनुलग्नक संख्या 37 के रूप में संलग्न है।

2. यह कि दिनांक 05.03.2024 की रिपोर्ट प्रत्यर्थी प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता को पत्र दिनांक 06.03.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी। दिनांक 06.03.2024 के पत्र की सत्य प्रतिलिपि इस पुनरीक्षण याचिका के अनुलग्नक संख्या 38 के रूप में संलग्न है।

3. यह कि उपरोक्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पुनरीक्षणकर्ता को आवंटित भूमि अभी भी किसानों के कब्जे में है। इसलिए, पुनरीक्षणकर्ता शून्य अवधि का हकदार है।

4. यह कि यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.03.2024 की रिपोर्ट स्वयं प्रत्यर्थी प्राधिकरण द्वारा 07.02.2024 को लेखपाल द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर तैयार की गई है। इसलिए, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि भूमि का एक बड़ा हिस्सा आज तक किसानों द्वारा अतिक्रमित है और तदनुसार पुनरीक्षणकर्ता पूरी भूमि पर शून्य अवधि का हकदार है।

5. यह कि पुनरीक्षणकर्ता को केवल निम्नलिखित अवधियों के लिए ही शून्य अवधि दी गई है :-

   1) दिनांक 04.02.2013 के आदेश द्वारा पूरी भूमि पर 27.03.2012 से 29.01.2013 तक।
   2) दिनांक 07.03.2017 के आदेश दद्वारा 55285 वर्ग मीटर पर 30.01.2013 से 21.12.2016 तक।
   3) दिनांक 23.11.2020 के आदेश द्वारा 15493.43 वर्ग मीटर पर 04.02.2018 से 03.02.2020 तक।

   हालांकि, ऐसा कोई कारण सामने नहीं आया है कि जब दिनांक 04.02.2013 के आदेश द्वारा पूरे भूखंड पर शून्य अवधि दी गई थी, तो

दिनांक 23.11.2020 के आदेश में शून्य अवधि को केवल 15,493 वर्ग मीटर के क्षेत्र तक ही क्यों सीमित कर दिया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 05.03.2024 की रिपोर्ट के आलोक में, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पुनरीक्षणकर्ता को दिसंबर 2019 तक विवादित भूखंड पर कोई भी गतिविधि करने की अनुमति नहीं थी।

6. यह कि 29.01.2013 तक यह स्वीकार किया गया है दिनांक) 04.02.2013 के आदेश द्वाराकि कब्जा पुनरीक्षणकर्ता को नही सौंपा गया था और दिनांक 29.01.2013 के बाद भी, ऐसा कोई कब्जा ज्ञापन (Possession Memo) जारी नहीं किया गया है, जिसके द्वारा वर्ष 2019 तक भूखंड का कब्जा पुनरीक्षणकर्ता को सौंपा गया हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 2019 तक भूमि पुनरीक्षणकर्ता को हस्तांतरित नहीं की गई थी।
7. यह कि इसके अलावा यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी प्राधिकरण का कृत्य जिसके तहत उसने पहले 04.02.2013 को शून्य अवधि प्रदान की और उसके बाद के आदेशों में इसे अस्वीकार कर दिया, एक ही समय में 'हाँ और ना' कहने) Blowing hot and cold at the same time) के समान है, और तदनुसार, यह कानून की नजर में अस्वीकार्य है।
8. यह कि इसके अलावा यह प्रस्तुत किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 29.08.2014 के माध्यम से राज्य सरकार ने स्वयं स्वीकार किया था कि प्रत्यर्थी प्राधिकरण के पास भूमियों का कब्जा नहीं है और इसलिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया गया था। शासनादेश दिनांक 29.08.2014 में इस स्वीकृति के आलोक में यह स्पष्ट है कि 2014 में प्रत्यर्थी प्राधिकरण के पास कब्जा उपलब्ध नहीं था।
9. यह कि इसके अलावा यह प्रस्तुत किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 29.08.2014 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जहाँ स्थगन आदेश पारित किए गए थे। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के लंबित होने के कारण, न तो वाई) ए.डी.आई.ई. YEIDA) ने किसानों को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, जिसके कारण किसानों ने भूखंड पर से अपना कब्जा कभी नहीं छोड़ा और परिणामस्वरूप कब्जा पुनरीक्षणकर्ता को कभी नहीं सौंपा जा सका।
10. यह कि चाहे जो भी हो, शासनादेश दिनांक 29.08.2014 की वैधता से संबंधित प्रश्न माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2022 तक लंबित था और तदनुसार, इस अवधि के दौरान न तो यीडा द्वारा

किसानों को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया और न ही पुनरीक्षणकर्ता को भूमि का कब्जा उपलब्ध कराया गया। इसलिए उक्त अवधि के दौरान पुनरीक्षणकर्ता अतिरिक्त क्षतिपूर्ति पर ब्याज की माफी (Waiver of interest) के साथसाथ शून्य अवधि का हकदार है।

11. यह कि प्राधिकरण द्वारा उन किसानों को खेती की गतिविधियां करने से रोकने औरया उनके कब्जे से भूमि वापस लेने या हटाने के लिए कोई । कदम नहीं उठाए गए हैं। इसलिए, पुनरीक्षणकर्ता को पट्टे पर दी गई भूमि का कब्जा सौंपने में प्रत्यर्थी प्राधिकरण की विफलता के कारण, पुनरीक्षणकर्ता शून्य अवधि का हकदार है।

12. यह कि इसके अलावा यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रत्यर्थी प्राधिकरण को लगातार राशियों का भुगतान करता रहा है, और आज तक प्रत्यर्थी प्राधिकरण के पास रु 2,92,96,59,364/- की राशि जमा कर चुका है। यह अपने आप में दर्शाता है कि भले ही प्रत्यर्थी प्राधिकरण विवरणपुस्तिका में किए गए अपने वादे को पूरा करने में विफल रहा, फिर भी पुनरीक्षणकर्ता ने अपनी सद्भावना (Bonafides) दिखाने के लिए समयसमय-पर राशियों का भुगतान किया। इसलिए, यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता एक वास्तविक आवंटी है जो परियोजना स्थापित करना चाहता था और प्रत्यर्थी प्राधिकरण की विफलता के कारण इसे समय पर स्थापित नहीं कर सका।

13. यह कि इसके अलावा यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवरण पुस्तिका के क्लॉज G3 के अनुसार, पुनरीक्षणकर्ता को 10% आरक्षण राशि का भुगतान करना था और उसके बाद, प्रत्यर्थी प्राधिकरण द्वारा भूखंड का कब्जा लेने और उसके बाद आवंटन पत्र जारी करने तथा पुनरीक्षणकर्ता को भूखंड का कब्जा सौंपने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने थे। वर्तमान मामले में, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आरक्षण राशि का भुगतान किया गया था। हालांकि, प्रत्यर्थी प्राधिकरण मनमाने ढंग से कब्जा लेने या पुनरीक्षणकर्ता को कब्जा सौंपने में विफल रहा। इसलिए, निष्क्रियता प्रत्यर्थी प्राधिकरण की ओर से रही है और तदनुसार, पुनरीक्षणकर्ता को इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवरणपुस्तिका के क्लॉज G3 के अनुसार, दिसंबर 2019 भूखंड का कब्जा सौंपने की तारीखतक पुनरीक्षणकर्ता शून्य अवधि का हकदार है।

14. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा द्वितीय पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गयी हैं, जिसमें निम्नवत अनुरोध किया गया है :-

(1) प्राधिकरण द्वारा अवशेष देयकों के सम्बन्ध में निर्गत नोटिस दिनांक 26.08.2022 एवं 07.09.2022 को निरस्त किया जाये एवं दिनांक 27.02.2013 से दिसम्बर, 2019 तक शून्य अवधि का लाभ अनुमन्य किया जाये।

(2) प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08.07.2025 तथा 50वीं बोर्ड बैठक द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के प्रकरण में दिनांक 18.06.2025 को लिए गये निर्णय को निरस्त किया जाये।

3- प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निम्नवत आख्या प्रस्तुत की गयी है :-

1. पुनरीक्षणकर्ता को दिनांक 17.02.2011 को भूखण्ड संख्या टीएस-06, क्षेत्रफल 4,086.22 वर्गमीटर, आवंटित किया गया था। उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख दिनांक 27.03.2012 को निष्पादित किया गया तथा दिनांक 28.03.2012 को कब्जा प्रदान किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 24.01.2014 को एमराल्ड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में उप-पट्टा निष्पादित किया गया, जिसे दिनांक 05.01.2021 को निरस्त कर दिया गया।
2. शासनादेश दिनांक 29.08.2014 के अनुसार 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर प्रदान किया गया। उक्त शासनादेश को शकुन्तला एजुकेशनल ट्रस्ट सोसाइटी एवं विश्वास एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी से सम्बन्धित रिट-सी संख्या 28968 वर्ष 2018 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.05.2020 से उक्त शासनादेश निरस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिए जाने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 19.05.2022 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया।
3. परियोजना विभाग द्वारा दिनांक 28.09.2020 एवं 18.05.2022 को आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए गए।
4. एस्क्रो खाता खोला गया था, किन्तु पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उससे सम्बन्धित दायित्वों के निर्वहन में चूक की गई, जिसके फलस्वरूप कतिपय आपराधिक कार्यवाहियों भी प्रारम्भकी गई। दिनांक 31.12.2023 को पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध कुल ₹554.21 करोड़ की धनराशि बकाया थी।
5. पुनरीक्षणकर्ता को पूर्व में ही दिनांक 27.03.2012 से 29.01.2013 तक की अवधि के लिए सम्पूर्ण आवंटित क्षेत्रफल पर शून्य अवधि का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

6. प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार स्थगन आदेशों से प्रभावित भूमि के सम्बन्ध में शून्य अवधि का लाभ दिया जा सकता था। तदनुसार, 55,250 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर दिनांक 30.01.2013 से 31.12.2016 तक की अवधि के लिए शून्य अवधि का लाभ प्रदान किया गया।
7. आदेश दिनांक 12.12.2019 के अनुसार 15,495.4 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर दिनांक 04.02.2018 से 03.02.2020 तक की अवधि के लिए भी शून्य अवधि का लाभप्रदान किया गया।
8. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से अतिरिक्त शून्य अवधि का लाभदिए जाने का अनुरोध किया गया। किन्तु कार्यालय आदेश दिनांक 27.10.2023 के अन्तर्गत अपेक्षित परियोजना पूर्ण करने तथा अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करने सम्बन्धी लिखित सहमति प्रस्तुत नहीं की गई थी। फलस्वरूप प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया गया।
9. शासनादेश दिनांक 21.12.2023 के अन्तर्गत भी शून्य अवधि का लाभ प्रदान किया गया। उक्त शासनादेश के अनुसार पुनर्गणना के उपरान्त कुल देय धनराशि ₹441 करोड़ निर्धारित की गई, जिसकी 25 प्रतिशत धनराशि दिनांक 28.04.2024 तक जमा की जानी थी। अपेक्षित धनराशि जमा किए जाने पर आदेश दिनांक 18.07.2024 द्वारा उक्त लाभ प्रदान किया गया। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 18.11.2024 द्वारा बकाया धनराशि जमा करने हेतु तीन माह का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया।
10. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्राधिकरण के देयों का पूर्ण भुगतान भी नहीं किया गया है। शासनादेश दिनांक 21.12.2023 के अनुसार ₹441 करोड़ की बकाया धनराशि का भुगतान निर्धारित किश्तों में किया जाना था। किंतु पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रारंभिक 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरांत मात्र ₹60 करोड़ ही जमा किए गए हैं तथा उसके पश्चात कोई धनराशि जमा नहीं की गई है। इस प्रकार, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निर्धारित भुगतान की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

4- प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुनवायी की गयी, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मुख्यतः निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये गये हैं :-

1. पुनरीक्षणकर्ता की मुख्य मांग यह है कि माह दिसम्बर, 2019 तक भूखण्ड के एक बड़े हिस्से पर मा० न्यायालय में विवाद/स्थगनादेश रहा है। अतः पुनरीक्षणकर्ता को आवंटन की तिथि से दिसम्बर, 2019 तक शून्य अवधि का लाभ प्रदान किया जाय।

इस सम्बन्ध में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्राधिकरण के पत्र दिनांक 08.04.2023, 05.03.2024 एवं सहायक विधि अधिकारी, यीडा द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र एवं खसरावार आच्छादित क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्राधिकरण के आदेश दिनांक 04.02.2013 से सम्पूर्ण आवंटित भूमि पर दिनांक 27.03.2012 से 29.01.2013 तक शून्य अवधि का लाभ प्रदान किया जा चुका है। जब उक्त लाभ न्यायिक एवं कब्जे से सम्बन्धित बाधाओं को स्वीकार करते हुए प्रदान किया गया था, तब उन बाधाओं के बने रहने के बावजूद आदेश दिनांक 07.03.2017 एवं 23.11.2020 द्वारा उसे क्रमशः 55,285 वर्गमीटर एवं 15,493.43 वर्गमीटर तक सीमित किए जाने का कोई संतोषजनक औचित्य नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र दिनांक 03.08.2012 में रिट याचिका संख्या-3392/2012, 8287/2012, 68985/2011 एवं 36442/2011 में पारित अन्तरिम आदेशों से आवंटित भूमि प्रभावित होने का उल्लेख है। उक्त पत्र में उल्लिखित वादों के सम्बन्ध में प्रस्तुत विवरण, क्षेत्रफल एवं अन्तरिम आदेशों की अवधि निम्नवत् है :-

क्रं०	रिट याचिका संख्या	सम्बन्धित खसरा संख्या एवं ग्राम	अन्तरिम आदेश की अवधि
1	संख्या-3392/2012	ग्राम खेरली भाव - 27 एवं 27मि.,	18.01.2012 से 03.08.2015
2	संख्या-8287/2012	ग्राम खेरली भाव – 27 एवं 27मि.,	14.02.2012 से 27.02.2015
3	संख्या-68985/2011	ग्राम मिर्जापुर - 2, 7, 12, 13, 15, 31 एवं 33	01.12.2011 से 11.07.2023
4	संख्या-36442/2011	ग्राम मिर्जापुर - 31	08.07.2011 से 06.07.2026

2. उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि रिट याचिका संख्या 3392/2012 एवं 8287/2012 में अन्तरिम आदेश वर्ष 2015 तक प्रभावी रहे। रिट याचिका संख्या-68985/2011 में स्थगनादेश दिनांक 11.07.2023 तक तथा रिट याचिका संख्या 36442/2011 में दिनांक 06.07.2026 तक प्रभावी रहना दर्शाया गया है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत गणना के अनुसार इन दोनों वादों से प्रभावित क्षेत्रफल 1,13,760 वर्गमीटर है, जो वर्तमान कार्यवाही से सम्बन्धित 3,51,135.69 वर्गमीटर क्षेत्रफल का लगभग 32.40 प्रतिशत है। प्राधिकरण ने

ऐसा कोई सीमांकन अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे विवादित एवं निर्विवाद भू-भागों को पृथक् कर शेष भूमि का विकास योग्य कब्जा उपलब्ध कराया जाना स्थापित होता हो।

3. इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण के पत्र दिनांक 08.04.2023 में अन्य खसरों के संबंध में प्रस्तुत विवरण निम्नवत है :-

क्रं०	रिट याचिका संख्या	सम्बन्धित खसरा संख्या एवं ग्राम	अन्तरिम आदेश की अवधि
1	संख्या 64154/2012	ग्राम मिर्जापुर - 3, 6 एवं 8	10.12.2012 से 06.07.2026
2	संख्या 10808/2013	ग्राम खेरली भाव - 33	28.02.2013 से 04.01.2018
3	संख्या 8287/2012		14.02.2012 से 27.02.2015

4. इस प्रकार खसरा संख्या-3, 6 एवं 8 ग्राम मिर्जापुर भी विवादित था और पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इसका क्षेत्रफल 19,480 वर्गमीटर बताया गया है। दिनांक 06.07.2026 तक स्थगनादेश से प्रभावित होना दर्शाया गया है।
5. प्रभावित क्षेत्रफल के सम्बन्ध में प्राधिकरण के प्रभारी विधि अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया मानचित्र एवं संलग्न खसरावार विवरण स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण है। उक्त विवरण में वर्ष 2011 से 2019 के दौरान 2,74,760 वर्गमीटर भूमि स्थगनादेशों से प्रभावित होना दर्ज है। यह केवल पुनरीक्षणकर्ता का कथन नहीं, बल्कि प्राधिकरण के अपने अभिलेखों में दर्ज स्पष्ट स्वीकारोक्ति है। अतः आवंटित भूमि का एक बड़ा भाग न्यायिक बाधाओं से प्रभावित रहने का तथ्य स्वयं प्राधिकरण के अभिलेख से स्थापित है।
6. शासनादेश दिनांक 05.12.2019 में ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के अन्तर्गत न्यायालय के स्थगनादेशों के कारण आवासीय निर्माण कार्य न हो पाने की स्थिति में शून्य अवधि का लाभ निम्नानुसार प्रदान किए जाने की व्यवस्था है-

डेवलपर्स को कुल आवंटित भूमि के सापेक्ष प्रभावित भूमि (प्रतिशत में)		छूट का प्रतिशत
आवासीय उपयोग के भूखण्ड	30 प्रतिशत से अधिक	100 प्रतिशत
	20 प्रतिशत से अधिक और 30 प्रतिशत तक	50 प्रतिशत
	10 प्रतिशत से अधिक 20 प्रतिशत तक	25 प्रतिशत
	10 प्रतिशत तक	आनुपातिक

7. प्राधिकरण के कार्यालय आदेश दिनांक 27.10.2023 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में भी न्यायालय के स्थगनादेशों के कारण निर्माण कार्य आगे न

बढ़ पाने की स्थिति में शून्य अवधि का लाभअनुमन्य किया गया है। यद्यपि शासनादेश दिनांक 05.12.2019 निर्गत होने की तिथि से दो माह तक प्रभावी था, तथापि बाद के आदेशों में शून्य अवधि का लाभ प्रदान करने की व्यवस्था करते हुए यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त लाभ कुल आवंटित क्षेत्रफल के कितने भाग पर प्रदान किया जाएगा। अतः लाभ हेतु पात्र क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिए शासनादेश दिनांक 05.12.2019 में निर्धारित मानदण्डों को आधार बनाया जाना युक्तिसंगत है।

8. प्राधिकरण के प्रबन्धक सम्पति के पत्र दिनांक 03.08.2012 (प्रति संलग्न), नायब तहसीलदार यीडा के पत्र दिनांक 05.03.2024 (प्रति संलग्न), उप जिलाधिकारी (आरडी) के पत्र दिनांक 06.03.2024 (प्रति संलग्न), प्रभारी विधि अधिकारी के पत्र दिनांक 08.04.2024 (प्रति संलग्न) एवं दिनांक रहित पत्र/ मानचित्र (प्रति संलग्न) एवं मा० न्यायालय के आदेशों से आच्छादित खसरों का क्षेत्रफलवार विवरण का अवलोकन किया गया।

उक्त अभिलेखों के आधार पर ग्राम खेरली भाव का खसरा संख्या-27 एवं 27 एम पर मा० उच्च न्यायालय का स्थगनादेश दिनांक 03.08.2015 तक प्रभावी रहा है। ग्राम मिर्जापुर का खसरा संख्या-2, 7, 12, 13, 15, 31 एवं 33 पर स्थगनादेश दिनांक 01.12.2011 से दिनांक 11.07.2023 तक प्रभावी रहा है। उपलब्ध विवरण के अनुसार दिनांक 03.08.2015 तक स्थगनादेश से आच्छादित उक्त खसरों का क्षेत्रफल 1,29,347 वर्गमी० जो कुल आवंटित भूमि का 36.8 प्रतिशत है तथा दिनांक 11.07.2023 तक स्थगनादेश से आच्छादित खसरो का क्षेत्रफल 74,707 वर्गमी० जो कुल आवंटित भूमि का 21.2 प्रतिशत है। उक्त के अतिरिक्त उक्त भूखण्ड के एक बड़े क्षेत्रफल पर मा० न्यायालय में विवाद लम्बित था। प्राधिकरण द्वारा स्थगनादेश/मा० न्यायालय में लम्बित वादों से आच्छादित क्षेत्रफल का चिन्हांकन कर निर्माण कार्य हेतु अवशेष क्षेत्रफल को चिन्हित करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राधिकरण का यह दायित्व है कि वह आवंटी को सभी प्रकार के भार से मुक्त भूखण्ड आवंटित करें, किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण इसमें विफल रहा है। वर्ष 2019 के पश्चात पुनरीक्षणकर्ता द्वारा भूखण्ड के कतिपय हिस्से पर निर्माण कराया गया है, जिसके दृष्टिगत उसके द्वारा वर्ष 2019 तक शून्य अवधि की मांग सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर की गयी है। अतः उक्त के आधार पर दिनांक 03.08.2015 तक सम्पूर्ण भूखण्ड पर तथा माह दिसम्बर, 2019 तक सम्पूर्ण क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत क्षेत्रफल पर शून्य अवधि का लाभ अनुमन्य किया जाता है। दिसम्बर,

2019 के पश्चात जो भूमि स्थगनादेश से आच्छादित है तथा उस पर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका है, उक्त भूमि के सम्बन्ध में आनुपातिक आधार पर शून्य अवधि का लाभ अनुमन्य किया जाता है।

पुनरीक्षणकर्ता की द्वितीय पुनरीक्षण याचिका में प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08.07.2025 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा दिनांक 18.06.2025 की 85वीं बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुपालन में आवंटन निरस्त करने की चेतावनी दी गई थी। उक्त पुनरीक्षण में अन्तरिम आदेश दिनांक 29.08.2025 द्वारा प्रथम पुनरीक्षण के अन्तिम निस्तारण तक पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध कोई उत्पीड़नात्मक अथवा दण्डात्मक कार्यवाही न करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार, दोनों पुनरीक्षण याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं तथा विपक्षी प्राधिकरण का आदेश दिनांक 08.07.2025 एतद्वारा निरस्त किया जाता है। प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता की देय धनराशि की पुनर्गणना 15 दिनों के अन्दर करते हुए गणनाशीट पुनरीक्षणकर्ता को उपलब्ध करायी जाय।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।

दीपक कुमार
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

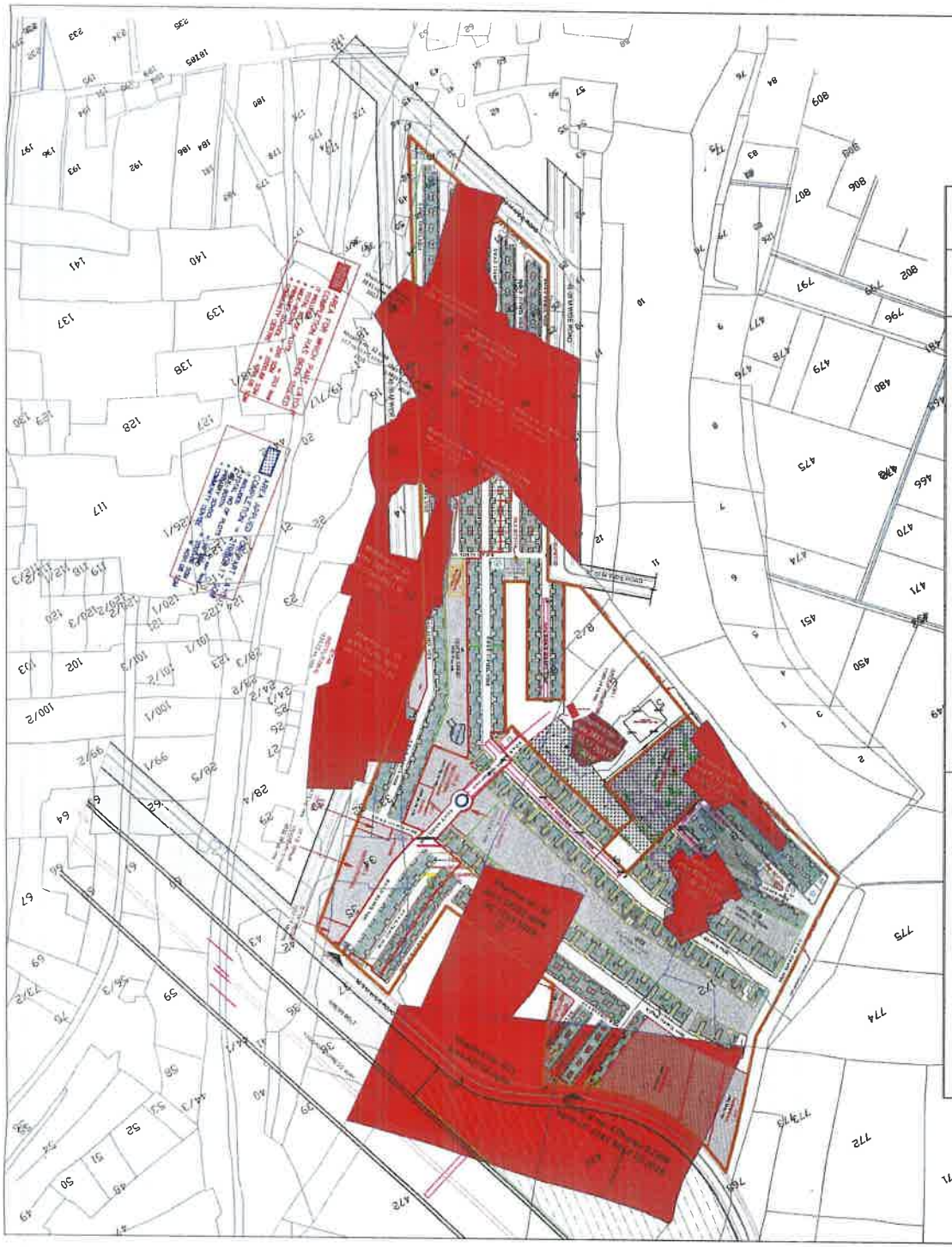
संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधकरण, गौतमबुद्धनगर।
2. मेसर्स ग्रीनबे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०।
3. निदेशक, आई.टी. सेल, इन्वेस्ट यू०पी० को इस आशय से प्रेषित कि कृपया आदेश की प्रति इन्वेस्ट यू०पी० की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव।



COURT STAY AREA LEGEND		
YEAR	COLOR	AREA
2011 TO 2019		274760SQMT

गाँव	KHASHRA NO.	TOTAL AREA OF KHASHRA IN SQMT	AREA OF KHASHRA UNDER PLOT TS-2 IN SQMT	वाद संख्या / याचिका संख्या	याचिकाकर्ता	STAY ON KHASRAN START TO END DATE		CURRENT STAY STATUS (स्थगन का विवरण)
						START DATE	END DATE	
Achheja (अछेजा बुर्जुग)	470	52398	52396	48619/2013	सलीम व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2013	25 Jan 2019	स्थगनादेश प्रभावी नहीं रहा है जो कि दिनांक 25.01.2019 को खारिज कर दी गई है।
	471	49793	49793	1689/1996	धन्ना सुन्दर व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	स्थगन प्रभावी नहीं है।		
Mirzapur (मिर्ज़ापुर)	2	8254	8254	68985/2011	इन्द्र व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	1 Dec 2011	2019	स्थगनादेश दिनांक 01-12-2011 से 2019 तक प्रभावी रहा है।
	7	3835	3835	68985/2011	इन्द्र व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	1 Dec 2011	2019	स्थगनादेश दिनांक 01-12-2011 से 2019 तक प्रभावी रहा है।
	18	7664	7664	68985/2011	इन्द्र व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	1 Dec 2011	2019	स्थगनादेश दिनांक 01-12-2011 से 2019 तक प्रभावी रहा है।
	31	29295	29295	68985/2011	इन्द्र व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	1 Dec 2011	2019	स्थगनादेश दिनांक 01-12-2011 से 2019 तक प्रभावी रहा है।
	4	8242	8242	39165/2019	तुलसीराम व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2019	29 Nov 2019	स्थगनादेश दिनांक 29-11-2019 तक प्रभावी रहा है।
	10	28353	28352	14103/2018	तुषित कुमार बंसल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2018	18 Apr 2018	स्थगनादेश दिनांक 18-04-2018 तक प्रभावी रहा है।
	12	2233	2232	68985/2011	इन्द्र व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	1 Dec 2011	2019	स्थगनादेश दिनांक 01-12-2011 से 2019 तक प्रभावी रहा है।
				12319/2016	अमित व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2016	17 Mar 2019	स्थगनादेश दिनांक 16-03-2019 तक प्रभावी रहा है।
	15	18937	18937	68985/2011	इन्द्र व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	1 Dec 2011	2019	स्थगनादेश दिनांक 01-12-2011 से 2019 तक प्रभावी रहा है।
				12319/2016	अमित व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2016	16 Mar 2018	स्थगनादेश दिनांक 16-03-2018 तक प्रभावी रहा है।
				14103/2018	तुषित कुमार बंसल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2018	18 Apr 2018	स्थगनादेश दिनांक 18-04-2018 तक प्रभावी रहा है।
Kherli Bhav (खेरली भाव)	27	52161	52181	6643/2011	जमील व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2011	03.08.2018	2011 से दिनांक 03.08.2018 तक स्थगनादेश प्रभावी रहा है।
				8287/2012	नेकी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	14 Feb 2012	27 Feb 2019	14-02-2012 से दिनांक 27.02.2019 तक स्थगनादेश प्रभावी रहा है।
				3392/2012	इकबाल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	18 Jan 2012	3 Aug 2019	18-01-2012 से दिनांक 03.08.2019 तक स्थगनादेश प्रभावी रहा है।
	28	1816	1816	25887/2014	कमल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2014	14 May 2018	स्थगनादेश प्रभावी नहीं रहा है जो कि दिनांक 14-05-2018 को खारिज कर दी गई है।
	29	2553	2553	25887/2014	कमल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2014	14 May 2018	स्थगनादेश प्रभावी नहीं रहा है जो कि दिनांक 14-05-2018 को खारिज कर दी गई है।
	30	3249	3249	25887/2014	कमल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2014	14 May 2018	स्थगनादेश प्रभावी नहीं रहा है जो कि दिनांक 14-05-2018 को खारिज कर दी गई है।
	31	1863	1863	25887/2014	कमल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2014	14 May 2018	स्थगनादेश प्रभावी नहीं रहा है जो कि दिनांक 14-05-2018 को खारिज कर दी गई है।
	32	177	177	25887/2014	कमल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2014	14 May 2018	स्थगनादेश प्रभावी नहीं रहा है जो कि दिनांक 14-05-2018 को खारिज कर दी गई है।
	33	3931	3931	10808/2013	एपवीर व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	28 Feb 2013	14 Jan 2018	स्थगनादेश दिनांक 28-02-2014 से दिनांक 04-01-2018 तक प्रभावी रहा है।

Vandna Raghav
Incharge Law Officer
Yamuna Expressway Ind. Dev. Authority

गाँव	KHASHRA NO.	TOTAL AREA OF KHASHRA IN SQMT	AREA OF KHASHRA UNDER PLOT TS-2 IN SQMT	वाद संख्या / याचिका संख्या	याचिकाकर्ता	STAY ON KHASRAN START TO END DATE		CURRENT STAY STATUS (स्थगन का विवरण)
						START DATE	END DATE	
Achheja (अच्छेजा बुर्जुग)	470	52398	52398	48619/2013	सब्बीर व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2013	25 Jan 2019	स्थगनादेश प्रभावी नही रहा है जो कि दिनांक 25.01.2019 को खारिज कर दी गई है।
	471	49793	49793	1689/1996	चन्द्रा गुप्ता व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	स्थगन प्रभावी नहीं है।		
Mirzapur (मिर्ज़ापुर)	2	8254	8254	68985/2011	इन्द्रा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	1 Dec 2011	2019	स्थगनादेश दिनांक 01-12-2011 से 2019 तक प्रभावी रहा है।
	7	3835	3835	68985/2011	इन्द्रा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	1 Dec 2011	2019	स्थगनादेश दिनांक 01-12-2011 से 2019 तक प्रभावी रहा है।
	13	7664	7664	68985/2011	इन्द्रा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	1 Dec 2011	2019	स्थगनादेश दिनांक 01-12-2011 से 2019 तक प्रभावी रहा है।
	31	29295	29295	68985/2011	इन्द्रा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	1 Dec 2011	2019	स्थगनादेश दिनांक 01-12-2011 से 2019 तक प्रभावी रहा है।
	4	8242	8242	39165/2019	सुखवीर व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2019	29 Nov 2019	स्थगनादेश दिनांक 29-11-2019 तक प्रभावी रहा है।
	10	28352	28352	14103/2018	सुमित कुमार बंसल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2018	18 Apr 2018	स्थगनादेश दिनांक 18-04-2018 तक प्रभावी रहा है।
	12	2232	2232	68985/2011	इन्द्रा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	1 Dec 2011	2019	स्थगनादेश दिनांक 01-12-2011 से 2019 तक प्रभावी रहा है।
				12319/2016	अमित व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2016	17 Mar 2019	स्थगनादेश दिनांक 16-03-2019 तक प्रभावी रहा है।

Vandna Raghav
Incharge Law Officer
Yamuna Expressway Ind. Dev. Authority

	15	18937	18937	68985/2011	इन्द्रा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	1 Dec 2011	2019	स्थगनादेश दिनांक 01-12-2011 से 2019 तक प्रभावी रहा है।
				12319/2016	अमित व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2016	16 Mar 2018	स्थगनादेश दिनांक 16-03-2018 तक प्रभावी रहा है।
				14103/2018	सुमित कुमार बंसल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2018	18 Apr 2018	स्थगनादेश दिनांक 18-04-2018 तक प्रभावी रहा है।
Kherli Bhav (खेरली भाव)	27	52161	52161	6643/2011	हनीफ व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य।	2011	03.08.2018	2011 से दिनांक 03.08.2018 तक स्थगनादेश प्रभावी रहा है।
				8287/2012	तोडी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य ।	14 Feb 2012	27 Feb 2019	14-02-2012 से दिनांक 27.02.2019 तक स्थगनादेश प्रभावी रहा है।
				3392/2012	हबीब व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य ।	18 Jan 2012	3 Aug 2019	18-01-2012 से दिनांक 03.08.2019 तक स्थगनादेश प्रभावी रहा है।
	28	1816	1816	25887/2014	कमल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य ।	2014	14 May2018	स्थगनादेश प्रभावी नही रहा है जो कि दिनांक 14-05-2018 को खारिज कर दी गई है।
	29	2553	2553	25887/2014	कमल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य ।	2014	14 May2018	स्थगनादेश प्रभावी नही रहा है जो कि दिनांक 14-05-2018 को खारिज कर दी गई है।
	30	3249	3249	25887/2014	कमल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य ।	2014	14 May2018	स्थगनादेश प्रभावी नही रहा है जो कि दिनांक 14-05-2018 को खारिज कर दी गई है।
	31	1863	1863	25887/2014	कमल सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य ।	2014	14 May2018	स्थगनादेश प्रभावी नही रहा है जो कि दिनांक 14-05-2018 को खारिज कर दी गई है।

Vandna Raghav
Incharge Law Officer
Yamuna Expressway Ind. Dev. Authority

	32	177	177	25887/2014	कमल सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य ।	2014	14 May2018	स्थगनादेश प्रभावी नही रहा है जो कि दिनांक 14-05-2018 को खारिज कर दी गई है।
	33	3931	3931	10808/2013	रघुवीर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य ।	28 Feb 2013	14 Jan 2018	स्थगनादेश दिनांक 28-02-2014 से दिनांक 04-01-2018 तक प्रभावी रहा है।

Vandna Raghav
Incharge Law Officer
Yamuna Expressway Ind. Dev. Authority